झारखण्ड सरकार
वाणिज्य--कर विभाग

आदेश

वित्तीय वर्ष 2015--16 के तृतीय त्रैमासिक विवरणी (**NEW JVAT 200** एवं **CST Form I**) **के दाखिल करने की अंतिम देय तिथि 25.01.2016** है। पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार तृतीय त्रैमास से निबंधित व्यवसायियों द्वारा सभी अनिबंधित व्यवसायियों को भी की गयी बिक्री का रिटेल बीजकवार (**Retail Invoice Wise**) विवरण दाखिल करना अनिवार्य किया गया था। विभिन्न व्यवसायियों तथा व्यवसायिक संघो के अभ्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:--

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास से निबंधित व्यवसायियों द्वारा अनिबंधित व्यवसायियों को रूपये 50,000 (पचास हज़ार रूपये) के ऊपर की गयी बिक्री का रिटेल बीजकवार (**Retail Invoice Wise**) विवरण देना अनिवार्य किया जाता है। रूपये 50,000 से कम की बिक्री का रिटेल बीजकवार विवरण देने की अनिवार्यता नहीं होगी।
- रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये) से कम के सभी रिटेल बीजक (**Retail Invoice**) का कुल योग व्यवसायी को दाखिल विवरणी के अनुलग्न में अनिबंधित/**Consumer** विकल्प (**Option**) के लिए निर्धारित लाईन (**Row**) में अंकित करना होगा।
- व्यवसायियों की सुविधा हेतु तृतीय त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि 25.01.2016 से बढ़ाकर दिनांक 05.02.2016 की जाती है।

अतिरिक्त जानकारी हेतु विभागीय HELP DESK दूरभाष संख्या 0651-6066005 (IVRS) (सुबह 10:00 से संख्या 07:00 बजे तक) तथा संध्या 8:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक मोबाईल संख्या--7762837076 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

ज्ञापांक -- 306 /राँची, दिनांक -- 25/1/16
प्रतिलिपि :-- सभी वाणिज्य--कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/सभी वाणिज्य--कर अंचल प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/16
(मुकेश कुमार)
वाणिज्य--कर संयुक्त आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।